विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2020–2021
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2021 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	-	-	(क) संस्थापना व्यय		
			वेतन, पी एफ आदि	1,54,60,041	1,81,48,729
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	1,24,344	1,44,492
i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	3,43,24,989	2,23,12,330	उपदान व्यय	-	14,15,561
ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	-	1,05,00,000	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	2,67,500	2,70,000
iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	-	-	स्टाफ कल्याण व्यय	55,000	96,032
			प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	1,08,000	87,707
(ग) अन्य			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,26,351	11,36,366
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	-	-
प्रेषक के पास डाक टिकटें	-	8,926	एल टी सी व्यय	1,13,279	2,26,183
			छुट्टी नकदीकरण (एल टी सी)	54,834	48,366
			(ख) प्रशासनिक व्यय		
II. अनुदान			विज्ञापन व्यय	1,86,127	2,25,221
एमईए से अनुदान - सामान्य	10,00,00,000	12,90,00,000	लेखापरीक्षा शुल्क	2,68,080	1,51,940
एमईए से अनुदान - वेतन	1,83,00,000	2,10,00,000	अन्य व्यय	91,508	2,31,159
एमईए से अनुदान - परियोजना	-	6,25,260	प्रकाशन की लागत	25,36,232	21,25,034
			सीएससीएपी सामान्य व्यय	54,48,810	59,45,672
III. आय			विद्युत एवं जल प्रभार	84,020	84,020
पुस्तकालय सदस्यता	5,500	73,100	कार्यालय बीमा व्यय	47,89,782	2,75,57,278
विविध आय	73,347	7,49,141	बैठक एवं सेमिनार व्यय	30,48,801	30,48,836
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	5,35,033	4,56,674	एनडीएमसी गृह कर	20,74,445	18,51,194
बचत खाते से अर्जित आय	-	-	कार्यालय व्यय	10,718	38,384
स्थायी जमा से आय	-	5,79,376	टिकट एवं टेलीग्राम	2,98,70,044	3,67,02,399
			व्यावसायिक प्रभार	12,81,141	7,76,281
IV. अन्य प्राप्तियां			प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	48,82,265	53,14,622
प्रतिभूत जमा- पुस्तकालय	28,000	67,200	मरम्मत एवं रख-रखाव	25,81,762	26,48,403
कर्मचारियों से त्यौहार अग्रिम की वसूली			सुरक्षा व्यय	7,00,613	6,67,993
अन्य अग्रिम	-	1,97,255	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	25,13,381	70,01,038
रद्द चेक	23,000	-	यात्रा एवं वाहन	3,01,752	3,28,426
			समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	5,84,388	3,83,954
			ग्राहक एवं सदस्यता व्यय	1,38,127	5,35,446
			वेबसाइट व्यय	-	2,37,065
कुल अग्रनीत	15,32,94,869	18,55,74,262	कुल अग्रनीत	7,88,01,345	11,74,27,801

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

2

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कुल अग्रनीत	15,32,94,869	18,55,74,262	कुल अग्रनीत	7,88,01,345	11,74,27,801
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	10,07,946	4,69,065
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	8,32,006	8,97,233
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	61,70,292	7,95,814
			पुस्तकालय की आई टी अवसंरचना	–	2,30,100
			कार्यालय उपस्कर	6,62,484	4,85,952
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति	4,04,240	2,69,494
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	5,600	11,200
			कॉरपोरेट इनफोटेक (टेंडर ईएमडी)	–	–
			यूवी प्रौद्योगिकियां (ईएमडी मनी)	–	–
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	2,47,80,005	2,14,96,084
			परियोजनाओं का उपयोग	–	6,46,259
			अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान	27,87,817	27,95,649
			अन्य अग्रिम	17,36,341	57,16,622
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान	–	3,000
			(क) नकद रोकड़		
			(ख) बैंक में जमा राशि		
			i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	3,61,01,793	3,43,24,989
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	–	–
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	–	–
कुल	15,32,94,869	18,55,74,262	कुल	15,32,94,869	18,55,74,262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.06.2021

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

2

③

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	2,54,98,615.00	2,49,09,285.00
निर्धारित/अक्षय निधि	2	–	–
आस्थगित आय	3	16,71,48,992.00	16,83,87,566.00
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	4,97,82,494.00	3,66,36,428.00
कुल		24,24,30,101.00	22,99,33,279.00
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	16,79,13,660.00	16,91,93,378.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	7,45,16,441.00	6,07,39,901.00
कुल		24,24,30,101.00	22,99,33,279.00
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : दिनांक : 08.06.2021

हस्ता/–	हस्ता /–	हस्ता /–	हस्ता/–
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

③

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4.4 बी देखिए)		9,33,72,393.00	12,96,49,170.00
सदस्यता फीस	7	22,094.00	1,06,402.00
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	8	5,35,033.00	4,56,674.00
अर्जित ब्याज	9	-	-
अन्य आय	10	1,43,84,566.00	1,60,09,316.00
कुल (क)		10,83,14,086.00	14,62,21,562.00
व्यय			
स्थापना व्यय	11	1,88,64,603.00	2,00,79,951.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	6,91,00,391.00	10,46,48,536.00
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		27,87,817.00	27,95,649.00
प्रकाशनों की लागत		26,19,582.00	21,25,034.00
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,43,52,363.00	1,53,03,627.00
कुल (ख)		10,77,24,756.00	14,49,52,797.00
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		5,89,330.00	12,68,765.00
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08/06/2021

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

5

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		2,49,09,285.00		2,36,40,520.00
जोड़ें : संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़ें : आय और व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	5,89,330.00		12,68,765.00	
		5,89,330.00		12,68,765.00
वर्ष के अंत में अतिशेष		2,54,98,615.00		2,49,09,285.00

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क) **निधियों का प्रारंभिक अतिशेष**	-	20,999.00
ख) **निधियों में परिवर्धन::**		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण		6,25,260.00
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-
ग) **निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय**		
i. पूंजी व्यय		
- अचल परिसंपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-
- किराया		
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय		6,25,260.00
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन		20,999.00
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	-	-
अनुसूची 6-ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	-	-
	-	-

अनुसूची 3- आस्थगित आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	16,83,87,566.00	15,55,42,281.00
जोड़िए: अवक्षयीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (निवल)	1,30,72,645.00	2,81,05,460.00
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम		
ऐसी परिसंपत्तियां आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित की जाती हैं	1,43,11,219.00	1,52,60,175.00
कुल	16,71,48,992.00	16,83,87,566.00

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

5

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		3,06,969.00		8,387.00
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		4,786.00		21,380.00
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	2,09,594.00	2,09,594.00	2,11,256.00	2,11,256.00
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	6,61,540.00		6,39,140.00	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें)	3,77,14,564.00		2,58,59,602.00	
ग) देय वेतन एवं भत्ते	10,09,955.00		9,91,194.00	
घ) अन्य देनदारियां	4,87,656.00	3,98,73,715.00	2,28,209.00	2,77,18,145.00
कुल (क)		4,03,95,064.00		2,79,59,168.00
ख. प्रावधान				
उपदान के लिए प्रावधान		93,87,430.00		86,77,260.00
कुल (ख)		93,87,430.00		86,77,260.00
कुल (क+ख)		4,97,82,494.00		3,66,36,428.00

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आरंभिक अतिशेष	2,58,59,602.00	3,36,14,232.00
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	11,83,00,000.00	15,00,00,000.00
	14,41,59,602.00	18,36,14,232.00
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	9,33,72,393.00	12,96,49,170.00
	5,07,87,209.00	5,39,65,062.00
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	1,30,72,645.00	2,81,05,460.00
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	3,77,14,564.00	2,58,59,602.00
कुल	3,77,14,564.00	2,58,59,602.00

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
निजी निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	20,70,625	39,745	-	21,10,370	7,55,160	7,94,905
2.फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	-	-	1,88,400	1,82,231	925	-	1,83,156	5,244	6,169
3.पुस्तकालय पुस्तिकाएं एवं पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	34,229	474	-	34,703	4,264	4,738
उप - जोड़(क)	30,92,897	-	-	30,92,897	22,87,085	41,144	-	23,28,229	7,64,668	8,05,812
केंद्र सरकार के अनुदान से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,75,69,376	-	-	6,75,69,376	2,02,03,155	23,68,311	-	2,25,71,466	4,49,97,910	4,73,66,221
2. फर्नीचर, फिक्चर	4,61,35,184	8,32,006	-	4,69,67,190	3,20,18,390	21,94,861	-	3,42,13,251	1,27,53,939	1,41,16,794
3. कार्यालय उपस्कर	4,06,38,268	7,03,484	-	4,13,41,752	1,73,37,866	35,48,006	-	2,08,85,872	2,04,55,880	2,33,00,402
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,68,52,459	10,07,946	-	1,78,60,405	1,40,88,128	9,06,950	-	1,49,95,078	28,65,327	27,64,331
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	5,02,74,200	48,73,544		5,51,47,744	2,28,05,620	30,04,820	-	2,58,10,440	2,93,37,304	2,74,68,580
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,59,75,714		-	1,59,75,714	1,37,52,299	5,55,854	-	1,43,08,153	16,67,561	22,23,415
7. विद्युत इंस्टालेशन	3,33,27,344	-	-	3,33,27,344	2,20,31,906	16,94,315	-	2,37,26,221	96,01,123	1,12,95,438
8. साइकिल एवं रिक्शा	36,500	-	-	36,500	9,925	3,986	-	13,911	22,589	26,575
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,57,596	-	-	10,57,596	3,75,273	34,116	-	4,09,389	6,48,207	6,82,323
उप - जोड़ (ख)	27,18,66,641	74,16,980	-	27,92,83,621	14,26,22,562	1,43,11,219	-	15,69,33,781	12,23,49,840	12,92,44,079
चालू वर्ष का जोड़ (क+ख)	27,49,59,538	74,16,980	-	28,23,76,518	14,49,09,647	1,43,52,363	-	15,92,62,010	12,31,14,508	13,00,49,891
पिछला वर्ष	26,90,96,576	58,57,698	-	27,49,54,274	12,96,00,756	1,53,03,627	-	14,49,04,383	13,00,49,891	13,94,95,820
जारी पूंजीगत कार्य									4,47,99,152	3,91,43,487
कुल									16,79,13,660	16,91,93,378

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(8)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अनुसूची 6 -चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि				
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		5,000.00		5,000.00
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	3,61,01,793.00		3,43,24,989.00	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	-			
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)			-	
		3,61,01,793.00		3,43,24,989.00
कुल (क)		3,61,06,793.00		3,43,29,989.00
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		2,93,56,746.00		1,94,39,412.00
ख) पूर्व-भुगतान		21,53,296.00		6,67,527.00
ग) अन्य		68,99,606.00		63,02,973.00
2 उपार्जित आय				
क) जमा लेखे पर		-		-
कुल (ख)		3,84,09,648.00		2,64,09,912.00
कुल (क + ख)		7,45,16,441.00		6,07,39,901.00

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(8)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7 सदस्यता फीस	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
पुस्तकालय सदस्यता	22,094.00	1,06,402.00
कुल	22,094.00	1,06,402.00

अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
रॉयल्टी	5,35,033.00	4,56,674.00
कुल	5,35,033.00	4,56,674.00

अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तों पर (भारतीय स्टेट बैंक)	-	-
2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते ऍ पर (भारतीय स्टेट बैंक)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,43,11,219.00	1,52,60,175.00
ख) मिश्रित आय	73,347.00	7,49,141.00
कुल	1,43,84,566.00	1,60,09,316.00

हस्ता/-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 11 - स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,49,99,557.00	1,69,98,864.00
ख) बोनस	1,24,344.00	1,44,492.00
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	15,50,817.00	6,28,359.00
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	55,000.00	96,032.00
ङ.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	1,02,854.00	91,189.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	7,10,170.00	11,23,528.00
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	13,21,861.00	9,97,487.00
कुल	1,88,64,603.00	2,00,79,951.00

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखापरीक्षा शुल्क	2,68,080.00	1,51,940.00
ख) विज्ञापन खर्च	1,86,127.00	2,25,221.00
ग) विद्युत एवं जल	57,08,810.00	57,63,008.00
घ) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	37,82,689.00	2,77,07,491.00
ङ.) कार्यालय बीमा	84,020.00	89,786.00
च) एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,801.00	30,48,836.00
छ) कार्यालय व्यय	18,84,936.00	32,80,203.00
ज) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	6,98,245.00	6,92,637.00
झ) मुद्रण और लेखन सामग्री	12,81,141.00	7,77,281.00
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	3,06,87,312.00	3,53,79,949.00
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	1,45,68,191.00	1,61,38,893.00
ड) सुरक्षा व्यय	25,81,762.00	26,48,403.00
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	25,14,326.00	72,51,002.00
ण) अन्य व्यय	3,60,438.00	1,07,420.00
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	1,11,060.00	3,35,917.00
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	8,26,624.00	5,15,103.00
द) वेबसाइट व्यय	5,07,829.00	5,35,446.00
कुल	6,91,00,391.00	10,46,48,536.00

हस्ता/-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(11)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

   जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जो कि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

   2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

   2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, प्रबंधन द्वारा अंगीकार किए गए, अनुसार समुचित दरों पर निम्नलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है :

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/पेरिफेरल	25%
विद्युत अधिष्ठापन	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में 1 अक्टूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

(11)

3. <u>राजस्व मान्यता</u>

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षयी आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. <u>विदेशी मुद्रा में लेनदेन</u>

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. <u>सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ</u>

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ईपीएफओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर देय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 08.06.2021

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक देनदारियां:**

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। आईसीडब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दि · ए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य न्यायालयी मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं – शून्य

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 की अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेदार होगा।

5. जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

7. अचल परिसंपत्तियों में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्तिगत निधि) का एक भाग है तो क्या भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.06.2021

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। लेखा परीक्षा 2020-21 तक की अवधि के लिए की गई है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पंणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीवय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करे।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

क.1 खाते के एक समान प्रारूप का पालन न करना

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास को लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाना है। हालांकि, परिषद ने दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर 'मूल्यह्रास' को अपनाया है। जो आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों से भिन्न है।

क.2 परिषद ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया है। बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में उपदान के प्रावधान की पर्याप्तता में किए गए 93.87 लाख का आकलन नहीं किया जा सका।

ख. सहायता अनुदान

विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। परिषद के पास 2.58 करोड़ रुपए पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी तथा परिषद को वर्ष 2020-21 के दौरान 11.83 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त

हुआ। इस राशि में से 10.64 करोड़ रुपए परिषद ने खर्च किया तथा परिषद के पास 31 मार्च 2021 तक 3.77 करोड़ रुपए अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष है।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उसके निदान/सुधार के लिए प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) मेरी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक 31 मार्च, 2021 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-

27/10/2021

(18)

अनुबंध-I

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

विश्व मामलों की भारतीय परिषद का न तो अपना आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध है और न ही प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षा आयोजित की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

पर्यावरण नियंत्रण

ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी क्योंकि बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।

3. अचल आस्त्यिों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने 9 जुलाई 2021 को अचल संपत्तियों जैसे कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से), पुस्तकालय की किताबों एवं पत्रिकाओं तथा कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, पुस्तकालय सूचना अवसंरचना की लेखा परीक्षा की।

(18)

(19)

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	10 जुलाई 2020
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	10 जुलाई 2020
3.	लेखन सामग्री	22 जुलाई 2020

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2021 तक 2,09,594 रुपए की सांविधिक देनदारी बकाया है।

हस्ता./-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

****

नोटः प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।